vinetur

यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप दाख की बारियां लगाने के परमिट पर विचार कर रहा है मोल्दोवा

मसौदा कानून में उत्पादकों के रिकॉर्ड की प्रक्रिया सरल करने और पूरे वाइन क्षेत्र में ट्रेसबिलिटी नियम लागू करने का प्रस्ताव है

शुक्रवार, 13 नवंबर 2026



मोल्दोवा वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दाख की बारियां लगाने और दोबारा लगाने के लिए परमिट की नई व्यवस्था पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के नियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के करीब लाना है।

InfoMarket ने गुरुवार, 12 नवंबर को बताया कि विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा वाइन क्षेत्र में दाख की बारियां लगाने और दोबारा लगाने के मौजूदा ढांचे में बदलाव करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इन गतिविधियों के लिए परमिट अनिवार्य होंगे और साथ ही उत्पादकों पर लागू व्यापक अनुपालन नियमों में भी संशोधन किया जाएगा।

प्रस्तावित बदलाव दाख की बारियां स्थापित करने तक सीमित नहीं हैं। InfoMarket के मुताबिक, मसौदे में वाइन उत्पादकों के लिए रिकॉर्ड रखने की शर्तों को भी काफी सरल बनाने का प्रावधान है। साथ ही, पूरे क्षेत्र में लागू होने वाले

नए उत्पाद-ट्रेसबिलिटी नियम भी पेश किए जाएंगे।

इन दोनों कदमों का मेल किसी सीमित तकनीकी सुधार के बजाय नियामक बदलाव की ओर संकेत करता है। मंजूरी मिलने पर, वाइन बनाने के लिए नई दाख की बारियां लगाने या मौजूदा बागों में दोबारा पौधे लगाने के इच्छुक उत्पादकों को औपचारिक अनुमति लेनी होगी। रिकॉर्ड रखने की शर्तों में प्रस्तावित ढील से लगता है कि अधिकारी कुछ प्रशासनिक बोझ कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपूर्ति शृंखला में उत्पादों की निगरानी पर नियंत्रण कड़ा किया जा रहा है।

ट्रेसबिलिटी का पहलू उत्पादकों और निर्यातकों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है। आम तौर पर, ट्रेसबिलिटी के कड़े नियमों के तहत उत्पादों की उत्पत्ति और उनके आवागमन का अधिक विस्तृत दस्तावेजी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इससे घरेलू नियंत्रणों को यूरोपीय बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में मदद मिल सकती है। अंगूर की आपूर्ति पर निर्भर वाइनरी और अन्य पेय कारोबारों के लिए यह प्रस्ताव दाख की बारी के प्रबंधन, उत्पादन नियंत्रण और नियामक अनुपालन के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव का संकेत हो सकता है, क्योंकि मोल्दोवा यूरोपीय संघ के बाजार के मानकों के करीब जा रहा है।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि परमिट प्रणाली व्यवहार में कैसे काम करेगी। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि मंजूरी कौन-सा प्राधिकरण देगा, उत्पादकों को किन मानदंडों को पूरा करना होगा या अनुमति मिलने की प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। मसौदा विधायी प्रक्रिया में कब आगे बढ़ेगा, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई।

इसके बावजूद, प्रस्ताव की दिशा स्पष्ट है। मोल्दोवा वाइन उद्योग के लिए यूरोपीय मानकों से अधिक मेल खाने वाले नियमों पर विचार कर रहा है। साथ ही, उत्पादकों के कामकाज के दस्तावेजीकरण और अधिकारियों द्वारा उत्पादों की ट्रेसबिलिटी के तरीकों में बदलाव की योजना है। इससे दाख की बारियों के नवीनीकरण, विस्तार की योजनाओं और पूरी वाइन आपूर्ति शृंखला में अनुपालन लागत पर असर पड़ सकता है।

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब मोल्दोवा के कई क्षेत्रों में नीतिगत फैसलों को यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया आकार दे रही है। वाइन क्षेत्र में दाख की बारियां लगाने और दोबारा लगाने के लिए अनिवार्य परमिट उत्पादकों के लिए एक संरचनात्मक बदलाव होगा। वहीं, ट्रेसबिलिटी के प्रावधानों का असर वाइनरी, बोतलबंद करने वाली इकाइयों, वितरकों और उन अन्य पेय कंपनियों पर पड़ सकता है जो उत्पत्ति और उत्पादन के स्पष्ट रिकॉर्ड पर निर्भर करती हैं।